Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला बून्दी में प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी को 20,000/—रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2026 मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई बून्दी द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी **देवराज मीणा हाल प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी** द्वारा परिवादी से ग्राम पंचायत बडगांव के निरीक्षण की एवज में **विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली पीयूष कुमार जैन** के नाम पर 20,000/— **रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्रीमान गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बून्दी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली पीयूष कुमार जैन द्वारा ग्राम पंचायत बडगांव पंचायत समिति हिण्डोजो के निरीक्षण की एवज में 35,000/— रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।

जिस पर ए.सी.बी. कोटा रेंज कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री आनन्द शर्मा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. बून्दी के **उप पुलिस अधीक्षक श्री हरीश भारती** के नेतृत्व में आज मय ट्रेप टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी देवराज मीणा को पीयूष कुमार जैन विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली के नाम पर परिवादी से ग्राम पंचायत बडगांव पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के निरीक्षण की एवज में 20,000/— रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि आरोपी कार्यालय से आरोपी के बैठने वाली कुर्सी के आगे रखी टेबल की रेक से प्राप्त की गई एवं आरोपी पीयूष कुमार जैन विकास अधिकारी को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगते ही अपने कार्यालय से फरार हो गया।

ए.सी.बी. के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सत्येंद्र कुमार** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।